



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21735

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1779/2026

कृष्ण नंद शुक्लायाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: नलिनीश, शैलेश उपाध्याय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की है:-

"i. प्रतिवादी संख्या 2, उप जिलाधिकारी, तहसील सेवराई, जिला गाजीपुर को मौजा नौली (जमानिया), परगना और तहसील सेवराई, जिला गाजीपुर में स्थित खसरा संख्या 3554 की सीमा निर्धारित करने हेतु, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर शीघ्रता से निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आदेश दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2- उप जिलाधिकारी, तहसील-सेवराई, जिला गाजीपुर ने तहसीलदार, सेवराई को भूमि की सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
4. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिकाओं के एक समूह, जिसमें प्रमुख रिट-सी संख्या 35470/2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) है, में दिनांक 18.12.2025 को निर्णय देते हुए पैरा संख्या 44 से 46 में कुछ निर्देश दिए गए थे, जो इस प्रकार हैं:-

"44. यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 उप-जिलाधिकारी (एस.डी.ओ.) को सीमा विवादों के संक्षिप्त निपटारे के लिए वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ-साथ सीमांकन और कब्जा बहाली के लिए अनिवार्य प्रवर्तन अधिकार प्रदान करती है। निष्पादन वैकल्पिक नहीं है बल्कि प्रावधान की प्रभावकारिता के लिए अभिन्न अंग है? प्रवर्तन में विफलता पूरी संक्षिप्त प्रक्रिया को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निरर्थक बना देती है और विधायी मंशा को विफल करती है। तैयार किए गए व्यापक दिशानिर्देशों का उद्देश्य वैधानिक आदेशों (संहिता 2006 की धारा 24; नियमावली 2016 का नियम 22), कार्यकारी निर्देशों (शासनादेश दिनांक 16.12.2025), प्रशासनिक कानून सिद्धांतों और निष्पक्षता एवं सार्वजनिक व्यवस्था के संवैधानिक अनिवार्यताओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए एक संरचित ढांचा प्रदान करना है। संबंधित प्रतिवादी, विशेष रूप से एस.डी.ओ. और कलेक्टर, कानून के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि धारा 24 के तहत आदेश प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं।

45. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, राज्य के भीतर सभी राजस्व अधिकारियों को उपरोक्त दिशानिर्देशों का राज्यव्यापी प्रसार सुनिश्चित करेंगे। अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने और आर.सी.सी.एम.एस. प्रोटोकॉल अनुपालन के लिए एक तंत्र भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

46. प्रतिवादियों, विशेष रूप से संबंधित एस.डी.ओ. (SDOs) को निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिकाओं के इस बैच के सभी विषयगत आदेशों को, इस आदेश को प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, अनुमोदित साइट मेमो/सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार कड़ाई से निष्पादित करें, जिसमें सीमा चिह्नों को लगाना और जहाँ भी आवश्यक हो, कब्जा बहाली सुनिश्चित करना शामिल है।

5. मामले के इस पहलू को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को प्रतिवादी संख्या 2- उप जिलाधिकारी, तहसील-सेवराई, जिला गाजीपुर को आदेश दिनांक 07.02.2023 का अनुपालन, कानून के अनुसार कड़ाई से करने तथा ऊपर उद्धृत मीना देवी (उपर्युक्त) के मामले में की गई टिप्पणियों के आलोक में करने का निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"